क्रमांक 333 / 2 / VIP / 59 / न्याय.प्रकरण / 2020
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर,
भोपाल (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक 27 / 06 / 2020

प्रति,

मुख्य अभियंता / परियोजना संचालक (समस्त)
.... कछार / परियोजना / पी.एम.यू
जल संसाधन विभाग,
.... (म.प्र.)

विषयः— न्यायालयीन प्रकरणों में विधि अनुसार अपील करने के संबंध में।
(द्वाराः— मंत्री जी, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग, श्री तुलसीराम सिलावट)

संदर्भः— मान. मंत्री जी, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग का जावक क्रमांक 448 / मंत्री / जल संसाधन, भोपाल, दिनांक 16.06.2020

———000000———

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है। उक्त पत्र के माध्यम से मान. मंत्री जी, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा भू—अर्जन के न्यायालयीन प्रकरणों में बढ़ते हुये वित्तीय भार का उल्लेख करते हुये जिला शासकीय अभिभाषक द्वारा मान. उच्च न्यायालय में अपील न करने का अभिमत देने पर अतिरिक्त मान. उच्च न्यायालय एवं खण्डपीठों के शासकीय अभिभाषकों का द्वितीय अभिमत प्राप्त कर न्यायालयीन प्रकरणों को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः कृपया मंत्री जी के निर्देशानुसार अपनी संरचना अंतर्गत समस्त मैदानी अधिकारियों को निर्देशित करें कि भू—अर्जन के ऐसे न्यायालयीन प्रकरणों में मान. उच्च न्यायालय एवं खण्डपीठों के शासकीय अभिभाषकों का द्वितीय अभिमत भी अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के उपरांत ही प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित् करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

(श्रीकांत दाडेकर)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, म.प्र.
भोपाल

पृष्ठा.क्र. 333 / 2 / VIP / 59 / न्याय.प्रकरण / 2020 भोपाल, दिनांक 27 / 06 / 2020

प्रतिलिपिः—

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.),
2. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, (म.प्र.),
   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वैब मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, कक्ष क्रमांक 323 ज.सं.वि, जल संसाधन भवन, भोपाल की ओर विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

(श्रीकांत दाडेकर)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, म.प्र.
भोपाल

तुलसीराम सिलावट
मंत्री
जल संसाधन
मध्यप्रदेश शासन

कार्यालय : E-105, VBIII, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)
दूरभाष 0755-2708000 (मंत्रालय)
0755-2770120 (निवास)

पत्र क्र. 448 /मंत्री/जल संसाधन

भोपाल, दिनांक 16/06/2020

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
तुलसी नगर, भोपाल।

विषयः—न्यायालयीन प्रकरणों में विधि अनुसार अपील करने के संबंध मे।

विषयान्तर्गत में लेख है कि विभागीय परियोजनाओं के लिए किये जाने वाले भू—अर्जन की प्रक्रिया में भू—अर्जन अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड से असंतुष्ट लोग माननीय जिला—न्यायालय में रिफरेंस आवेदन प्रस्तुत करते हैं। प्रायः देखने में आया है कि माननीय जिला न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध विभाग द्वारा वरिष्ठ न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं की जाती है। क्योंकि जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में अपने अभिमत में अपील न की जाने की अनुशंसा की जाती है। कई प्रकरणों में ऐसा भी देखने में आया है कि प्रथम दृष्टया जिला शासकीय अभिभाषक का अभिमत सद्भाविक प्रकृति का प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में शासन को वित्तीय क्षति होने की संभावना रहती है।

अतः राज्य शासन की हित में आपको निर्देशित किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में अनिवार्य रूप से उच्च न्यायालय के शासकीय अभिभाषक से द्वितीय अभिमत प्राप्त किए जाने संबंधी निर्देश सभी जिला अधिकारियों को प्रसारित किये जाये तथा निर्देशों का दृढ़ता से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

(तुलसीराम सिलावट)

17 JUN 2020

C.E.(I.S.)		S.E. (A)
C.E.-(N.M.)		C.P.O.
C.E.(P)		E.E. (V)
S.E.(Major)		E.E. (B)
E.(W)	Sr.P.A.	S.A. (EDP)